



छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

एल.आई.सी. परिसर, पण्डरी, रायपुर, - 492004 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष कार्यालय-2583789-90, फ़ैक्स: 0771-2583794

Website: www.csidc.in, Email address: csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 06/का.अ.(तक-3)/2010-11/

रायपुर, दिनांक 10/08/2011

मुहरबंद निविदायें फार्म -"बी" आयटम दर पर सीएसआईडीसी रायपुर निम्नलिखित कार्य के लिए उत्पादनकर्ता कंपनियों एवं अधिकृत विक्रेताओं से निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर, रायपुरा रोड, डंगनिया, रायपुर में प्रदाय एवं स्थापना कार्य हेतु दिनांक 31/08/2010 अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

स.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	आमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	फायर फायटिंग प्रदाय एवं स्थापना कार्य	रु. 46.23 लाख	रु. 46000/-	रु 1500.00	3 माह

शर्तें :-

- कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद भुगतान कर दिनांक 30/08/2010 अपरान्ह 2.00 बजे तक मुख्यालय पंडरी रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- तकनीकी स्पेसिफिकेशन एवं निविदा की अन्य भातें कार्यपालन अभियंता तक-3 से कार्यालयीन दिवस एवं समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।
- निविदा स्वीकृति उपरांत संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्राप्त कार्य का पंजीयन कराने के पचात ही कार्यादे जावेगा। साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction Works) पर 1 प्रतिशत उपकर (सेस) देय होगा। देयको के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी।
- आमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का डिमांड ड्राफ्ट, समयावधि जमा रसीद जो की प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर के पक्ष में देय हो निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- सर्वत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- सामान कार्य करने का कम से कम पाँच वर्षों के अनुभव के साथ राशि रु 46.00 लाख तक के कार्य एक ही अनुबंध एवं समयावधि में किया हो का प्रमाण पत्र (अनुभव प्रमाण पत्र सहित) कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी से जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता

तक-3